कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in , Tel.No.. 07453&230244

क्रमांक0 एफ ( )/एफ.सी.ए./ उ.व.स./2022–23/7646 दिनांक 18/7/23

निमित्तः–

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
कोटा।

विषय :–चोराखेडी से नयागांव वाया महेशपुरा सडक निर्माण के वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव।

Proposal no.FP/RJ/ROAD/34657/2022 (1.872ha)

संदर्भः– संभागीय मुख्य वन संरक्षक, कोटा का पत्र कमांक 3140 दिनांक 14.6.2023 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित से चाही गई रिपोर्ट निम्नानुसार प्रेषित है

S.N	EDS DATE 14.06.23	REPLY
1.	भाग–I के विन्दु J में प्रस्ताव को किसी अनुसूचित क्षेत्र में स्थिति होना नहीं बताया गया है, स्थिति स्पष्ट करें।	यूजर एजेन्सी के पत्र कमांक 341 दिनांक 23.06.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि भाग–I के बिन्दु संख्या J में जो लिखा है वह सही है। उक्त परियोजना तहसील शाहबाद के अन्तर्गत प्रस्तावित है। किन्तु अनुसूचित क्षेत्र में नही आता है। उक्त के संबंध में गजट नोटिफिकेशन संलग्न है।
2.	भाग–I के बिन्दु I में प्रस्तावित रोड़ किसी संरक्षित क्षेत्र में स्थित होना नही बताया गया है। पुनः चैक करें हाल ही में घोषित कंजर्वेशन रिजर्व का भाग है या नही, अगर है, तो तदानुसार संशोधन करावें।	यूजर एजेन्सी के पत्र कमांक 341 दिनांक 23.06.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि भाग–I के बिन्दु I में जो लिखा है वह सही है। प्रस्तावित प्रकरण हाल ही में घोषित कंजर्वेशन रिजर्व का भाग है। परन्तु MOEF का परिपत्र दिनांक 21.07.2022 (प्रति संलग्न के अनुसार Wildlife Clearance की आवश्यकता नही है।
3.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित सड़क निर्माण के दौरान निकलने वाले वेस्ट को केवल बाहर डालने की वचनबद्धता दी गयी है। जबकि उत्पादित मक वन उपज की श्रेणी में आता है। उत्पादित मक में कितना रोड़ निर्माण में लिया जावेगा राशि का आंकलन कर विभाग में जमा कराने की	मक डिस्पोजल योजना के संबंध मे यूजर एजेन्सी के पत्र कमांक 341 दिनांक 23.06.2023 द्वारा अवगत कराया गया है सडक का निर्माण भराव (Embankment) में किया जाना है। सडक में कोई कटिंग प्रस्तावित नही है।, सडक निंमाण सामग्री बाहर से परिवहन कर लाई जानी है। इस प्रकार सडक निंमाण में किसी प्रकार का मक

Scanned with CamScanner

	वचनबद्धता प्रस्तुत की जावे।	उत्पादित नही होगा। इसके लिये मक डिस्पोजल योजना की आवश्यकता नही है।
4.	पार्ट–II के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार प्रस्तावित वनभूमि रक्षित वनभूमि है। इसके गजट नोटिफिकेशन की प्रति अपेक्षित है।	पार्ट–II के बिन्दु संख्या–2 के अनुसार प्रस्तावित वनभूमि रक्षित वनभूमि है इसके गजट नोटिफिकेशन की प्रति संलग्न है।
5.	प्रस्ताव में कुल 56 पेड़ आ रहे है, इन पेड़ो की कटाई की आवश्यकता है या नही स्पष्ट करें। यदि पेडों का कटान होना है तो उनके काटने तथा वन विभाग के डिपो तक पहुँचाने का व्यय प्रयोक्ता अभिकरण वहन करेगा इस आशय की वचनबद्धता लेवें।	प्रस्ताव में कुल 56 पेड आ रहै है, इन पेडो की कटाई की आवश्यकता है। परियोजना में कुल 1.872 है0 में कुल 56 वृक्षो का पातन किया जायेगा एव पातन होने वाले वृक्षो को काटकर प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर परिवहन कर विभागीय डिपो पर संभलाया जायेगा। इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अण्डरटेकिंग प्रेषित की गई है। (अंडरटैकिंग संलग्न है।)
6.	आपके द्वारा प्रस्तावित सड़क के दोनों ओर 6 फिट उँची दीवार तथा दोनों क्षेत्रों को जोड़ने एवं 4–5 अण्डरपास के निर्माण प्रस्तावित किये है। किन्तु इसका कोई युक्तियुक्त आधार नही बताया गया है। अण्डरपास कहां–कहां बनेगें स्पष्ट नही है। साथ ही जी.पी. एस. कॉडिनेटस भी उपलब्ध नही कराये है। इन कार्यो का प्रयोक्ता अभिकरण से चर्चा कर पुनः विश्लेषण करें। अगर कोई कार्य करवाया जाना है तो उसे स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में शामिल करें।	चूकि उपरोक्त सडक कन्जर्वेशन रिर्जव शाहबाद तलहेटी का भाग है एव सडक के दोनो ओर 6 फिट ऊची दिवार बनाने से वन्य जीव सडक पर नही आयेंगे साथ ही एक अंडरपास के जी.पी.एस कोर्डिनेटस यूजर एजेन्सी द्वारा भिजवा दिये है। 1. N 25°21'29.91" E 77°16'05.03"
7.	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट पूर्ण प्रतीत नही होती है। रिपोर्ट के बिन्दु ए व बी में जो लागू को उसे बोल्ड किया जाना अपेक्षित है और बिन्दु सी में वांछित अनुसा रिपोर्ट अपेक्षित है।	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट सही कर दी गई है। बिन्दु संख्या ए व बी में जो लागू है उसे बोल्ड,कर दिया गया है बिन्दु–सी में वांछित अनुसार रिपोर्ट प्रेषित है
8.	चैक लिस्ट 18 व 20 में प्रत्यावर्तित वनभूमि 1.872 हैक्टर की एवज में प्राप्त गैर वनभूमि 10 खसरा नम्बरों में होना बताया है इसके अलावा Layout Plan of Alternate land for forest sheet Gajan to sunwas का दिया गया है संशोधित लेआउट अपेक्षित हे।	चैक लिस्ट 18 व 20 में प्रत्यावर्तित वनभूमि 1.872 है0 की एवज में प्राप्त गैर वनभूमि 2(79,188) खसरा नम्बरों में होना अंकित कर दिया है यूजर एजेन्सी के पत्र कमांक 341 दिनांक 23.06.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि जिला कलक्टर बारा के पत्र कमांक 401 – 09 दिनांक 23.06.23 को 7 प्रस्तावो हेतु कुल 32.19 है0 भूमि

Scanned with CamScanner

		आंवटित की गई है। उक्त प्रस्ताव हेतु ख0न0 79 में से 0.513 है0 भूमि तथा ख0न0 188 में से 1.399 है0 भूमि दी गई है। लेआउट प्लान में संशोधन कर संलग्न प्रेषित है

(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारां

क्रमांक0 एफ ( )/एफ.सी.ए./उ.व.स./2022–23/ दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1.अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक, FCA नोडल अधिकारी राज0 जयपुर।
2.अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड शाहबाद।

(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारां

E/CHORAKHEDI VAYA MHESHPURA ROAD 1.872 ha

Scanned with CamScanner